भारत सरकार
पंचायती राज मंत्रालय
**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न संख्या 4085**
दिनांक 17.03.2026 को उत्तरार्थ

## ग्राम पंचायत विकास योजना

4085. श्री अशोक कुमार यादवः

क्या **पंचायती राज मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी), सतत विकास लक्ष्यों (एमडीजी) का स्थानीयकरण, ई-ग्राम स्वराज, स्वामित्व तथा अन्य नई पहले प्रारंभ की हैं;

(ख) यदि हाँ, तो इनके उद्देश्य तथा घटक क्या है;

(ग) क्या इन पहलों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए एमजीएनआरईजीए, जल जीवन मिशन (जेजेएम), प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी), स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम), राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) तथा शिक्षा से संबंधित योजनाओं के साथ अभिसरण को बढ़ावा दिया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो बिहार में ऐसे अभिसरण की स्थिति क्या है,

(ङ) क्या यह तथ्य है कि विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के बीच समन्वय की कमी, पंचायत स्तर पर तकनीकी एवं मानव संसाधनों की कमी, वित्तीय प्रवाह में विलंब तथा डिजिटल क्षमता की सीमाएँ बिहार में अभिसरण के प्रमुख अवरोध हैं,

(च) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(छ) क्या सरकार बिहार में अभिसरण को सुदृढ़ करने के लिए राज्य-विशिष्ट दिशा-निर्देश, क्षमता निर्माण उपाय, तकनीकी सहायता, समयबद्ध लक्ष्य तथा एक विस्तृत निगरानी तंत्र लागू करने का प्रस्ताव रखती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

## उत्तर

पंचायती राज मंत्री

(श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह)

(क) और (ख) संविधान के अनुच्छेद 243छ के अनुसार, पंचायतों को भारत के संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में शामिल 29 विषयों के तहत महसूस की गई अपनी आवश्यकताओं के लिए योजनाएँ बनाने का अधिकार है। चौदहवें वित्त आयोग (FFC) की सिफ़ारिशों के अनुसरण में, पंचायती राज मंत्रालय राज्यों को ग्राम पंचायत विकास योजनाएँ (GPDP) बनाने की सलाह देता रहा है, क्योंकि जीपीडीपी बनाना ग्रामीण स्थानीय निकायों

(RLBs) को एफएफसी अनुदान जारी करने की शर्तों में से एक है। इसके बाद, पंद्रहवें वित्त आयोग के तहत पंचायतों के अन्य स्तरों पर भी यही शर्त लगाई गई है। तदनुसार, मंत्रालय ने पंचायती राज संस्थाओं के विभिन्न स्तरों अर्थात ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत और जिला पंचायत में जन भागीदारी के माध्यम से अगले वित्तीय वर्ष के लिए जमीनी स्तर पर संरचित तरीके से साक्ष्य-आधारित, समग्र और समावेशी पंचायत विकास योजनाओं की तैयारी के लिए वर्ष 2018 से औपचारिक रूप से 'सबकी योजना सबका विकास' के रूप में जन योजना अभियान शुरू किया है।

जीपीडीपी का मुख्य उद्देश्य ग्राम पंचायतों द्वारा पंद्रहवें वित्त आयोग अनुदान और उनके पास उपलब्ध अन्य संसाधनों का उपयोग करके और ग्राम पंचायतों के समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए पंचायतों की महसूस की गई जरूरतों को ध्यान में रखते हुए केंद्र एवं राज्य सरकारों की अन्य योजनाओं और कार्यक्रमों से संसाधनों के समन्वय के माध्यम से योजनाएँ तैयार करना है।

पंचायती राज मंत्रालय ने वर्ष 2022-23 में सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण(एलएसडीजी) की एक नई पहल शुरू की, जिसका मुख्य उद्देश्य स्थानीय प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों की पहचान करके संयुक्त राष्ट्र के लक्ष्य के अनुरूप 2030 तक ग्रामीण जमीनी स्तर पर सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को हासिल करना है। इस पहल के तहत, 17 एसडीजी को 9 व्यापक विषयों में शामिल किया गया है, जिनमें गरीबी उन्मूलन और आजीविका सहायता, महिला एवं बाल विकास, जल पर्याप्तता, जलवायु परिवर्तन और स्वच्छ पर्यावरण, अवसंरचना विकास, सामाजिक सुरक्षा और सुशासन को बढ़ावा देना शामिल हैं। ग्राम पंचायतें अब अपनी जीपीडीपी को इन विषयों के अनुरूप बना रही हैं।

पंचायती राज मंत्रालय ने पंचायतों में ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए, डिजिटल इंडिया पहल के तहत, स्थानीय ग्रामीण शासन में पारदर्शिता, जवाबदेही और कार्यदक्षता लाने के लिए विभिन्न डिजिटल प्लेटफॉर्म और ऐप विकसित किए हैं। ईग्रामस्वराज ऐप, एकल साइन ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म, जिसे वर्ष 2020-21 में शुरू किया गया था,पंचायत स्तर पर योजना, लेखांकन, निगरानी और ऑनलाइन भुगतान में सुविधा प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। इस ऐप को सार्वजनिक निधि प्रबंधन प्रणाली, सरकारी ई-मार्केटप्लेस और ऑडिटऑनलाइन ऐप के साथ एकीकृत किया गया है ताकि भुगतान में कोई कठिनाई न हो, खरीद प्रक्रिया पारदर्शी हो और पंचायतों के खातों की लेखापरीक्षा की जा सके। वर्तमान वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान, देश भर में कुल 2,64,211 ग्राम पंचायतों और समकक्ष निकायों में से 2,54,604 ग्राम पंचायतों और समकक्ष (96.36%) ने अपने ग्राम पंचायत विकास योजनाओं (जीपीडीपी) को ईग्रामस्वराज पर अपलोड किया है और 2,42,871 ग्राम पंचायतों और समकक्ष (91.92%) ने ईग्रामस्वराज-पीएफएमएस इंटरफेस के माध्यम से विक्रेताओं को 38,491 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए हैं।

स्वामित्व (ग्रामीण क्षेत्रों में गांवों का सर्वेक्षण और उन्नत प्रौद्योगिकी के साथ मानचित्रण), वर्ष 2020-21 में शुरू की गई एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जिसका उद्देश्य आधुनिक तकनीक-ड्रोन-संचालित सर्वेक्षण के माध्यम से ग्रामीण आबादी क्षेत्रों में घरेलू मालिको को' अधिकारों का अभिलेख' प्रदान करना है। इस योजना के बहुआयामी उद्देश्य हैं, जैसे संपत्ति संबंधी विवादों को कम करना, संपत्तियों के मुद्रीकरण की सुविधा प्रदान करना और इस प्रकार बैंक ऋण एवं अन्य वित्तीय सेवाओं को सक्षम बनाना, और सर्वेक्षण किए गए मानचित्रों का उपयोग करके व्यापक ग्राम-स्तरीय योजना तैयार करना।

(ग) जी हाँ,

(घ) बिहार में, ग्राम पंचायतें वित्त आयोग के अनुदान, अपने पास उपलब्ध संसाधनों और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), जल जीवन मिशन (जेजेएम), प्रधानमंत्री आवास योजना -ग्रामीण (पीएमएवाई-जी), स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण (एसबीएम-जी), राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) और शिक्षा से संबंधित कार्यक्रमों जैसी योजनाओं के तहत उपलब्ध संसाधनों के समन्वय का उपयोग करते हुए ग्राम पंचायत विकास योजनाएं (जीपीडीपी) तैयार कर रही हैं।

बिहार में ग्राम पंचायतों द्वारा वर्ष 2018-19 से ग्राम पंचायत रिपोर्ट तैयार करने और उसे मंत्रालय के ई-ग्रामस्वराज पोर्टल पर अपलोड करने की स्थिति निम्नलिखित है:

| वर्ष | ग्राम पंचायतों की संख्या | ईग्रामस्वराज पर अपलोड की गई जीपीडीपी की संख्या |
|---|---|---|
| 2018-19 | 8363 | 6433 |
| 2019-20 | 8364 | 7566 |
| 2020-21 | 8386 | 8386 |
| 2021-22 | 8125 | 8378* |
| 2022-23 | 8077 | 8067 |
| 2023-24 | 8055 | 8056* |
| 2024-25 | 8053 | 8053 |
| 2025-26 | 8052 | 8053* |

*पिछले वर्ष की लंबित जीपीडीपी या पूरक योजनाओं को अपलोड कर दिया गया है।

(ङ) से (च) विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के बीच प्रभावी समन्वय की कमी, पंचायत स्तर पर तकनीकी और मानव संसाधनों की कमी, वित्तीय प्रवाह में देरी और डिजिटल क्षमता की सीमाएं बिहार सहित कुछ राज्योंमें समन्वय के माध्यम से समय पर ग्राम पंचायत विकास योजनाओं (जीपीडीपी) को तैयार करने में कुछ पंचायतों द्वारा सामना की जाने वाली कुछ बाधाएं/चुनौतियां हैं। हालांकि, मंत्रालयद्वारा संबंधित मंत्रालयों/विभागों और राज्य सरकारों के सहयोग से, समन्वय की कमी को दूर करने और योजनानिर्माण प्रक्रियाओं को अधिक सहभागी बनाने के लिए प्रत्येक वर्ष 2 अक्टूबर से जन योजना अभियान का आयोजन किया जा रहा है।

मंत्रालय साक्ष्य-आधारित विषयगत पंचायत विकास योजनाओं के निर्माण और स्वयं के राजस्व स्त्रोतों (ओएसआर) के सृजन पर विशेष जोर देते हुए विभिन्न क्षेत्रों में पंचायती राज संस्थाओं की क्षमता निर्माण पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। इसके लिए मंत्रालय संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना को लागू कर रहा है।वर्ष 2022-23 के दौरान और अब तक पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) के लगभग 1.54 करोड़ निर्वाचित प्रतिनिधियों और पदाधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। इस अवधि के दौरान पंचायती राज संस्थाओं के लगभग 12.13 लाख निर्वाचित प्रतिनिधियों और उनके पदाधिकारियों को विषयगत योजना निर्माण सहित विभिन्न पहलुओं पर बिहार में प्रशिक्षण दिया गया है। इसके अलावा, भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम), भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), ग्रामीण प्रबंधन संस्थान आनंद (आईआरएमए) आदि जैसे उत्कृष्टता संस्थानों के सहयोग से नेतृत्व/प्रबंधन विकास कार्यक्रम (एमडीपी) आयोजित किए जा रहे हैं, जिनका मुख्य उद्देश्य संचार, निर्णय लेने, वित्तीय प्रबंधन औरविवाद समाधान सहित आवश्यक नेतृत्व कौशल को बढ़ाना देनाहै, जिससे पंचायतों के प्रभावी नेतृत्वकारी गुणों का पोषण हो सके। मंत्रालय ने आईआईएम अहमदाबाद के सहयोग से ग्राम पंचायतों की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के लिए स्वयं के राजस्व स्त्रोतों (ओएसआर) के सृजन पर एक प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार किया है। यह मॉड्यूल निर्वाचित प्रतिनिधियों और पंचायत पदाधिकारियों को कर और गैर-कर स्रोतों के माध्यम से ओएसआर सृजन को समझने में सुविधा प्रदान करता है। अब तक बिहार से 3,914 प्रतिभागियों को ओएसआर मॉड्यूल पर प्रशिक्षण दिया जा चुका है।.

प्रशिक्षण आदि के लिए वर्ष-विशिष्ट लक्ष्य संबंधित राज्य द्वारा अपनी वार्षिक कार्य योजना के माध्यम से निर्धारित किए जाते हैं और गतिविधियों की निगरानी ईग्राम स्वराज पोर्टल और मंत्रालय के प्रशिक्षण प्रबंधन पोर्टल पर की जाती है। इसके अलावा, योजना के कार्यान्वयन की निगरानी विभिन्न माध्यमों जैसे राज्य के अधिकारियों के साथ बैठकों, वीडियो कॉन्फ्रेंस और वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा क्षेत्र दौरे के माध्यम से की जाती है। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) की केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति, राज्य की वार्षिक कार्य योजना को मंजूरी देते समय, योजना के कार्यान्वयन और निधि उपयोग की प्रगति पर विचार करती है। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को निधि जारी करने को विनियमित करने हेतु वित्त मंत्रालय के निर्देशों के अनुपालन में उपयोगिता प्रमाण पत्र और लेखा परीक्षक की रिपोर्ट सहित आवश्यक दस्तावेज नियमित रूप से प्रस्तुत करने के लिए याद दिलाया जाता है।

***